

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील - वि.सं. 2/2014 जिला जयपुर

उनवान क्र. 2082-205 जे.आर.लोहिया व. सी.ए.ए. राजस्थान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	----------------------------------	--

18.02.2014

खण्ड पीठ
श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य
श्री अमर सिंह, सदस्य

विविध आवेदन की सुनवाई के समय श्री अलकेश शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधी श्री एन.एस.राठौर उपस्थित।


उभय पक्षों की बहस सुनी गई।


प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि आवेदक की कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 2024/2014 से 2029/2014 तक में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर समन्यवय पीठ ने दिनांक 30.01.2014 को स्थगन स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पर्याप्त जमानते पेश करने हेतु आदेश प्राप्ति से 15 दिन का समय दिया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी जमानत पेश करने में ओर समय लगेगा इसलिए जमानत प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई जावे।

प्रत्यार्थी के विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् यह खण्ड पीठ उचित समझती है कि जमानते पेश करने के लिए अपीलार्थी को दिनांक 10.03.2014 तक समय दिया जाता है। आवेदन स्वीकार करते हुए निस्तारित किये जाते है। इस आदेश को मूल अपील पत्रावली में सलंगन किया जावे।

आदेश सुनाया गया।


(अमर सिंह)
सदस्य


(जे.आर.लोहिया)
सदस्य